न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 197/2016

अनवान :

1. बिरजुराम उर्फ बृजु पुत्र चिमना जाति गुसांई निवासी रांगेड़ी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह
2. जगदीश
3. ओमप्रकाश

पुत्रान नत्थू जाति गुंसाई निवासी रांगेड़ी क़ालवास तहसील तारानगर जिला चूरू। राजस्थान

4. लीलावती पत्नी पृथ्वीसिंह
5. सोनम पुत्री पृथ्वीसिंह

जाति गुंसाई निवासीगण रांगेड़ी कालवास

– असल प्रतिवादीगण

6. रणवीर पुत्र आदू
7. रेशमी पत्नी आदू

जाति गुंसाई निवासीगण रांगेड़ी कालवास तहसील तारानगर।

8. गुड्डी
9. लीलो
10. सुखी
11. इन्द्रो
12. धापां
13. सुलोचना

पुत्रियान आदू जाति गुंसाई निवासीगण रांगेड़ी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री रतन धारीवाल **: वादी**

वकील श्री सुनील बैनीवाल **: प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

पैरवी कर्ता पेरोकार राज **: प्रतिवादी सं0 14**

निर्णय **दिनांक :** 14.2.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामपुरा तहसील भादरा के खाता सं0 26/25 के खसरा सं0 54 की 21 बिघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 95 की 31 बिघा, खसरा सं0 96 की 11 बिघा 19 बिस्वा, कुल तीन खसरों की 64 बिघा 14 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जिसमें से चिमना के तीनों पुत्रों नत्थू, आदू व बृजु का 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा शेष 1/2 हिस्सा मघा पुत्र पूर्ण जाति गुसांई के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। कुल कृषि भूमि 64 बिघा 14 बिस्वा में चिमना के तीनों पुत्रों की 1/2 के हिसाब से 32 बिघा 7 बिस्वा कृषि भूमि हिस्से में आती है।

उक्त कृषि भूमि पहले बीघों में थी बाद में उक्त भूमि के खसरे वही रहे लेकिन बिघा के स्थान पर हैक्टर में तब्दिल हो गई जिसमें खसरा नं0 54 की 5.501

है0, खसरा सं0 95 की 7.841 है0, खसरा सं0 96 की 3.023 है0 कुल 16.365 है0 बारानी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में सहबन से नत्थू पुत्र चिमना की मृत्यु हो जाने पर नत्थू के वारिसान व आदू, बृजु पिसरान चिमना बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि नत्थू के वारिसान का 1/6 एवं आदू 1/6 व बृजु 1/6 के साथ बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए थी अर्थात् नत्थू, आदू, बृजु के साथ 1/2 हिस्सा में बहिस्सा बराबर का 1/3–1/3 का खातेदार काश्तकार था, शेष 1/2 हिस्सा उसी अनुसार रहा।

सम्वत् 2056 से 60 की जमाबन्दी बनी तब राजस्व अधिकारियों ने बिना कोई कारण जाने अपनी इच्छा से नत्थू के पुत्रों प्रतिवादी सं0 1 से 3 का बहिस्सा बराबर 161–3/4 हिस्सा लीलावती प्रतिवादी सं0 4 व सोनम पुत्री पृथ्वीसिंह का बहिस्सा बराबर 53–11/12 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा आदू के सभी वारिसान प्रतिवादी सं0 6 से 12 का भी 53–11/12 हिस्सा एवं वादी अकेले का भी 53–11/12 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि चिमना के सभी वारिसान का 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर मिलना चाहिये था। कुल कृषि भूमि 16.3650 है0 बारानी कृषि भूमि में से चिमना के वारिसान का 1/2क हिस्सा अर्थात् 8.1825 है0 ही है। इसी 8.1825 है0 में से चिमना के तीनों लड़कों नत्थू, आदू व बृजु का 1/3 बहिस्सा बराबर होते है तथा इसी हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है।

राजस्व विभाग द्वारा 2056 की जमाबन्दी तैयार की उसमें नत्थु के वारिसान कमश : महेन्द्र, जगदीश, ओमप्रकाश, पृथ्वीसिंह तथा आदु, बृजु पिसरान चिमना बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि नत्थू के वारिसान के चारों के संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा कुल वाद भूमि का दर्ज होना चाहिए था व आदू व बृजु प्रत्येक का 1/6–1/6 भाग दर्ज होना चाहिऐ था। उक्त अंकन महज राजस्व अधिकारियों की भूल से हुआ है। इसी कदर सम्वत् 2068 से 71 की जमाबन्दी तैयार करते समय नत्थू के वारिसान महेन्द्र, जगदीश, ओमप्रकाश के नाम से बहिस्सा बराबर 161–3/4 हिस्सा पृथ्वीसिंह के वारिसान के नाम 53–11/12 हिस्सा इस प्रकार मृतक नत्थु के सभी वारिसान के नाम 215–2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज कर दी गई व वादी बृजु के नाम 215–2/3 के बजाये महज 53–11/12 हिस्सा व आदू के भी वारिसान 215–2/3 के बजाये 53–11/12 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि नत्थू, आदू व बिरजू तीनों का वाद भूमि में प्रत्येक का 215–2/3 हिस्सा खातेदारी था लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण ने भूलवंश वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 12 जो आदू के वारिसान है का 215–2/3–215–2/3 हिस्सा वाद भूमि में है। इसी कदर वाद भूमि में दुरूस्ती करवाकर जमाबन्दी में अंकन करवा पाने के मजाज कानूनी है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बृजू पुत्र चिमना जाति गुसांई दर्ज किया हुआ है जबकि वादी का सही नाम बृजू ना होकर बिरजुराम पुत्र चिमनाराम जाति गुंसाई है। बृजू नाम दर्ज रहने से वादी को मूलनिवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक से ऋण लेने व कृषि पर मिलने वाले अनुदान व अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे है तथा वादी को बार बार परेशान होना पड़ता है। बृजु नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। बृजू के स्थान पर बिरजूराम दर्ज होने से किसी भी

व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है। बृजु व बिरजूराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है रिश्तेदारी व गांव में वादी को बिरजूराम के नाम से पुकारते है यह एक लिपिकीय भूल है जिसे कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 से 5 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जबाबदावा पेश कर कथन किया कि भूमि का विवरण पहले खसरों में था उसमें अब हैक्टर बनने से इन्कारी नहीं है चिमना के तीन लड़के नत्थू आदि व बिरजु थे जिनमें बिरजु वादी जीवित है प्रतिवादीगण नं0 1 से 5 नत्थू के पुत्र है। नत्थू के हिस्से में चिमना के हिस्से की भूमि में से 1/3–1/3 कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 सभी का बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है। 8. 1825 है0 में चिमना के तीनों लड़के नत्थू, आदु व बिरजु का 1/3–1/3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है। राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश आदु के वारिसान सभी का 215–2/3–215–2/3 हिस्सा वाद भूमि में है। राजस्व रिकार्ड में बिरजु पुत्र चिमना जाति गुंसाई दर्ज किया हुआ है जबकि बिरजु का सही नाम बिरजुराम पुत्र चिमनाराम जाति गुंसाई है व गांव में व रिश्तेदारी में बिरजु पुत्र चिमनाराम के नाम से ही जान – पहचान है।

प्रतिवादी सं0 6 से 13 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 14 पेरोकार राज ने जबाब दावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी बिरजुराम उर्फ बृजू पीडब्ल्यु 1, रामस्वरूप पीडब्ल्यु 2 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम रामपुरा सम्वत् 2056 से 60 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम रामपुरा सम्वत् 2039 प्रदर्श 2, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत कालवास प्रदर्श 3, चित्रप्रति वोटर आई डी कार्ड प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 5ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए रिकार्ड दुरूस्त कर दावा वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने कथन किया कि वादी का चिमना की कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चिमना के तीनों लडके नत्थू, आदू व बिरजु 8.1825 है0 में 1/3–1/3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है। इस प्रकार वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रामपुरा की जमाबन्दी में अपना नाम व रकबा दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने वाद में अकित किया है कि सम्वत् 2068 से 71 की जमाबन्दी तैयार करते समय नत्थू के वारिसान महेन्द्र, जगदीश, ओमप्रकाश के नाम से बहिस्सा बराबर 161–3/4 हिस्सा पृथ्वीसिंह के वारिसान के नाम 53–11/12 हिस्सा इस प्रकार मृतक नत्थु के सभी वारिसान के नाम 215–2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज कर दी गई व वादी बृजु के नाम 215–2/3 के बजाये महज 53–11/12 हिस्सा व आदू के भी वारिसान

215–2/3 के बजाये 53–11/12 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि नत्थू, आदू व बिरजू तीनों का वाद भूमि में प्रत्येक का 215–2/3 हिस्सा खातेदारी था एवं वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बृजू पुत्र चिमना जाति गुसांई दर्ज किया हुआ है जबकि वादी का सही नाम बृजू ना होकर बिरजुराम पुत्र चिमनाराम जाति गुंसाई होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम रामपुरा सम्वत् 2056 से 60 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम रामपुरा सम्वत् 2039 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये है जिनमें चिमना के वारिसान चिमना में 1/2 में बहिस्सा बराबर दर्शाये गये है इनके अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि बाद की जमाबन्दीयों को तैयार करते समय लिपिकिय भूलवंश से रिकार्ड में सबहन त्रुटि हुई है होने के कारण हिस्सा–कस्सी गलत दर्ज हुई है। जहां तक नाम दुरूस्ती का कथन है इस बाबत वादी ने प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत कालवास प्रदर्श 3, चित्रप्रति वोटर आई डी कार्ड प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 5ए प्रदर्शित करवाये हैं उक्त सभी दस्तावेज वादी के बिरजूराम होने की पुष्टि करते है। पेरोकार राज ने भी अपने जबाब की मद सं0 9 में इस मद को स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि वादी का नाम बृजू के स्थान पर बिरजूराम शुद्ध किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है एवं मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में भी वादी बिरजूराम ने व रामस्वरूप ने चिमना के तीन पुत्र होने जिनमें आदु व नत्थू फौत होना एवं तीनों पुत्रों का चिमना के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में 1/3–1/3 हिस्सा होना एवं बिरजूराम द्वारा अपने बयान में उसका नाम बिरजूराम होना व इसी नाम से गांव में पुकारा जाना जाहिर किया गया है एवं प्रतिवादीगण ने अपने जबाब में वाद का व वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व बयानों का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामपुरा खाता सं0 53/58 के खसरा सं0 54 की तादादी 5.501 है0 खसरा सं0 95 की 7.841 है0 खसरा सं0 96 की 3.023 है0 इस प्रकार कुल तादादी 16.365 है में वादी का 215–2/3 हिस्सा का व प्रतिवादी सं0 6 से 13 संयुक्त रूप से 215–2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं यदि वाद भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात ही वादी का नाम बृजू के स्थान पर बिरजूराम पुत्र चिमनगिर जाति गुंसाई दर्ज कर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 197/2016

अनवान :

1. बिरजुराम उर्फ बृजु पुत्र चिमना जाति गुसांई निवासी रांगेड़ी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह
2. जगदीश
3. ओमप्रकाश

} पुत्रान नत्थू जाति गुंसाई निवासी रांगेड़ी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू। राजस्थान

4. लीलावती पत्नी पृथ्वीसिंह
5. सोनम पुत्री पृथ्वीसिंह

} जाति गुंसाई निवासीगण रांगेड़ी कालवास

– असल प्रतिवादीगण

6. रणवीर पुत्र आदू
7. रेशमी पत्नी आदू

} जाति गुंसाई निवासीगण रांगेड़ी कालवास तहसील तारानगर।

8. गुड्डी
9. लीलो
10. सुखी
11. इन्द्रो
12. धापां
13. सुलोचना

पुत्रियान आदू जाति गुंसाई निवासीगण रांगेड़ी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) के समक्ष वकील वादी श्री रतन धारीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 5 श्री सुनील बैनीवाल व प्रतिवादी सं0 14 पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामपुरा खाता सं0 53/58 के खसरा सं0 54 की तादादी 5.501 है0 खसरा सं0 95 की 7.841 है0 खसरा सं0 96 की 3.023 है0 इस प्रकार कुल तादादी 16.365 है में वादी का 215–2/3 हिस्सा का व प्रतिवादी सं0 6 से 13 संयुक्त रूप से 215–2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं यदि वाद भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात ही वादी का नाम बृजू के स्थान पर बिरजूराम पुत्र चिमनगिर जाति गुंसाई दर्ज कर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.2.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़